न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज, रूड़की, जिला हरिद्वार।

मूल वाद संख्या–217/2022

कृष्ण कुमार अग्रवाल बनाम जग जीवन राय आदि

दिनांक 06.07.2022–

आज प्रस्तुत वाद में वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार काम्बोज द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र संख्या 26ग2 प्रस्तुत कर वादी के खर्चे पर प्रतिवादीगण पर स्पेशल मैसेंजर के माध्यम से तामील कराये जाने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी। सुना। प्रार्थना पत्र संख्या 26ग2 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादीगण पर स्पेशल मैसेंजर के माध्यम से तामीली कराये जाने बाबत अविलम्ब आवश्यक पैरवी अमल में लाना सुनिश्चित करे।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 27ग2 अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता मय मूल फोटोग्राफ कागज संख्या 28ग1/1 ता 28ग1/3 पत्रावली पर दाखिल किये गये। शामिल मिसल हो। वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र संख्या 6ग2 पर सुनवाई किये जाने की अनुमति प्रदान कर उसका निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने की याचना की गयी। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादीगण को पूर्व में प्रेषित समन के सम्बन्ध में तामीली/अदम तामीली बाबत कोई आख्या पत्रावली पर प्राप्त नहीं है। अतः न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र 6ग2 पर आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक विदित होता है। तदानुसार प्रार्थना पत्र संख्या 27ग2 निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियत दिनांक 14.07.2022 को पेश हो।

(राजीव धवन)
वरिष्ठ सिविल जज,
रूड़की, जिला हरिद्वार।